न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2020

प्रार्थी

1. तगाराम पुत्र पूनमाराम
2. हिरालाल पुत्र पूनमाराम
3. मोहनलाल पुत्र पूनमाराम
   समस्त जातियान माली साकिन चितरोडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
2. श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथीगण अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 14.01.2021

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगणो की कब्जासुदा खातेदारी आराजी सरहद मौजा चितरोडी में आई हुई है जिसके खसरा नं. 221, 222, 223 जुमले रकबा 2.01 हैक्टेयर है वर्तमान जमाबन्दी, वर्तमान चालु नक्शा ट्रेस, बैचान दस्तावेज खातेदारी हक, विद्युत व्यय बिल ईत्यादि आवश्यक दस्तावेज प्रार्थना पत्र में सलग्न पेश है। प्रार्थीगणों ने उक्त खातेदारी नगा वल्द कुशाला कोम कलबी साकीन चितरोडी तहसील रानीवाडा से खरीदी थी जिसके खसरा नम्बर 221 रकबा 0.76 खसरा नम्बर 222 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.66 हैक्टेयर जुमले रकबा 2. 01 हैक्टेयर उक्त आराजी दिनांक 20.03.1999 को खरीदी थी। हल्का पटवारी ने नामान्तरण प्रविष्टि करते समय प्रार्थीगणो की जाति माली के बजाय कलबी लिख दी है इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगणों की जाति वर्तमान में कलबी दर्शित हो रही है जाति कलबी दर्शित होने से प्रार्थीगणो को खातेदारी हित के सरकारी लाभ नही मिल रहे है अतः राजस्व रेकर्ड में कलबी की बजाय माली दर्ज किया जाना उचित है।

उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में अभिलेख शुद्विकरण करने हेतु प्रस्तुत करना न्यायहित में आवश्यक है। समस्त पुख्ता सबूत बैचान दस्तावेज विद्युत व्यय बिल तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उक्त प्रार्थना पत्र में संलग्न पेश है। प्रार्थीगणो की जाति माली है प्रार्थीगणो ने उक्त आराजी नगा वल्द खुशाला कोम कलबी से खरीदी थी हल्का पटवारी ने जाति में माली की बजाय कलबी दर्ज कर दी इससे हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण या लापरवाही से म्यूटेशन भरा गया जिसका खामियाजा प्रार्थीगणो को भुगतना पड रहा है अतः रेकर्ड दुरस्ती करना अतिआवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण गरीब परिवार से सम्बन्धित है न्यायहित में अभिलेख शुद्विकरण करना उचित है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा चितरोडी के खाता सं. 119 के खसरा नम्बर

221 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.66 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.01 हैक्टेयर में प्रार्थीगणो की जाति कलबी की बजाय माली दर्ज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चितरोडी के खं.नं. 221, 222, 223 कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में तगाराम पुत्र पुनमाराम, माना पुत्र खुशाला, मोहनलाल पुत्र पूनमाराम, रूपाराम पुत्र मानाराम, सुजाराम पुत्र मानाराम, हीरालाल पुत्र पुनमाराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा जमाबन्दी में इन सभी की जाति कलबी दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण ने नगा वल्द कुशाला कलबी से खरीद की थी। उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज करने हेतु उक्त भूमि ख.नं. 221, 222, 223 कुल रकबा 2.01 है मौजा चितरोडी के संबंध में तत्कालीन पटवारी हल्का चितरोडी ने नामान्तरकरण संख्या 115 दर्ज किया तथा उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थीगण की जाति माली दर्ज की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा बिन्दु सं 2 में वर्णित जानकारी गलत है। अतः बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है। तत्कालीन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीगण की जाति माली ही दर्ज की थी। तथा मौजा चितरोडी के ख.सं. 221, 222, व 223 कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर में प्रार्थीगण की जाति कलबी दर्ज है। दावा स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के जवाब पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा चितरोडी तहसील रानीवाडा के खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 221 ,222, 223 कुल खसरा 3 रकबा 2.01 हैक्टेयर आराजी आयी हुई हैं। जिसके वर्तमान खातेदारी तगाराम पुत्र पुनमाराम, माना पुत्र खुशाला, मोहनलाल पुत्र पूनमाराम, रूपाराम पुत्र मानाराम, सुजाराम पुत्र मानाराम, हीरालाल पुत्र पुनमाराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा जमाबन्दी में इन सभी की जाति कलबी दर्ज है। बैचान दस्तावेज दिनांक 20.03.1999 की प्रति पेश कि जिसमें नगा वल्द खुशाला जी कौम कलबी साकिन चितरोडी तहसील रानीवाडा से खरीदारान तगाराम, हीरालाल, मोहनलाल पिसरान पूनमाराम कौम माली साकिन चितरोडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर द्वारा उक्त आराजी में से माना पुत्र खुशाला से आराजी खरीद कि हुई है। बैचान दस्तावेज में तगाराम ,हीरालाल, मोहनलाल पिसरान पूनमाराम की जाति माली है। तथा साथ जोधपूर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के बिल पेश किये जिसमें माह जून 2020 का बिल तगाराम पूनमाजी माली पता चितरोडी नाम से पेश किया है जिसमें तगाराम की जाति माली दर्ज है। माह अगस्त 2018 का हीरालाल पुत्र पुनमा जी माली चित्रोदी के नाम से पेश किया जिसमें हीरालाल की जाति माली दर्ज है। व माह जून 2020 का मोहनलाल पुत्र पूनमाजी माली चित्रोदी जसवतंपुरा के नाम से पेश किया जिसमें मोहनलाल की जाति माली दर्ज है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर मौजा चितरोडी में खसरा नम्बर 221, 222, 223 में तगाराम ,हिरालाल, मोहनलाल पुत्र पूनमाराम की जाति कलबी के स्थान पर माली जाति संशोधन किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:44 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि चितरोडी के खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 221, 222, 223 की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती में प्रार्थीगण का संशोधित में तगाराम ,हिरालाल, मोहनलाल पुत्र पूनमाराम की जाति **कलबी के स्थान पर माली के रूप** में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:44 IST
Reason: SelfAttested